न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बइजलास ममता कुमारी तिवारी आर0ए0एस0 अति0संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 12/2022/अपील/एलआरएक्ट/कोटा
दायरा दिनांकः 03.03.2022
अन्तर्गत धाराः 76 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री सुगम सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम जगपुरा तहसील लाड़पुरा, जिला कोटा

...अपीलांट

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये क्षेत्रीय वन अधिकारी, लाड़पुरा, कोटा
2. तहसीलदार लाड़पुरा, जिला कोटा
3. सहायक वन संरक्षक कोटा वन मण्डल, कोटा

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री नरेन्द्र सिंह राजावत अभिभाषक –अपीलांट
पेरोकार सरकार – रेस्पो0

::निर्णय::

दिनांक 15.05.2025

अपीलांट ने न्यायालय जिला कलक्टर कोटा (संक्षेप में प्रथम अपीलीय न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 73/2018 (अपील) बउनवान सुरेन्द्र सिंह बनाम जिला वन विभाग जरिये सहायक वन संरक्षक, कोटा में पारित निर्णय दिनांक 31.03.2021 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) के विरूद्ध यह द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1. प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक वन संरक्षक कोटा द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी लाडपुरा की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट के द्वारा नाका जगपुरा वन खण्ड खेडा जगपुरा ग्राम जगपुरा के ख० नं0 236 रकबा 0.16 है0 वन भूमि पर कब्जा करने के कारण सहायक वन संरक्षक कोटा द्वारा अपने आदेश दिनांक 20.08.2018 से अपीलान्ट को अतिक्रमी मानते हुए भू–राजस्व की धारा 91 के तहत कार्यवाही करते हुए उक्त भूमि से बेदखली किया जाकर 501/– रू0 जुर्माने एवं 3 माह के साधारण कारावास के दण्ड

15/5/2025
अति. संभा. आयुक्त
कोटा

से दण्डित किये जाने का आदेश पारित किया गया। अपीलार्थी के द्वारा उक्त आदेश दिनांक 20.08.2018 के विरूद्ध भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 अन्तर्गत अपील न्यायालय जिला कलक्टर, कोटा को प्रस्तुत किये जाने पर उक्त विवादित भूमि वन विभाग की होना मानते हुए अतिक्रमण किया जाना प्रमाणित होना प्रकट करते हुए प्रस्तुत अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर निर्णय दिनांक 31.03.2021 से खारिज की गई।

2. अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, कोटा के निर्णय दिनांक 31.03.2021 से अप्रसन्न होकर अपीलार्थी द्वारा भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 अन्तर्गत द्वितीय अपील न्यायालय हाजा में पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय, जेरअपील विधि न्याय एवं तथ्यो के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय जेर अपील में विवादित भूमि/भूखण्ड के संबंध में तत्कालीन ग्राम पंचायत रानपुर द्वारा अपीलान्ट के पक्ष में जारी विक्रय विलेख/पट्टे दिनांक 29.03.1964 पर मात्र खसरा नम्बर उल्लेखित न होने के आधार पर विवादित भूमि/भूखण्ड को खसरा नम्बर 236 की 0.16 हैक्टर भूमि यह मानकर गम्भीर तथ्यात्मक त्रुटि करते हुये आदेश जेर अपील पारित कर दिया और विचारण न्यायालय के निर्णय दिनांक 20.08.18 को यथावत रख दिया। जिसमें अपीलान्ट को विचारण न्यायालय ने अतिक्रमी मानते हुये 501/– रूपये जुर्माना एवं 3 माह की सजा से दण्डित किया है। जबकि सच्चाई यह है कि स्वयं विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 20.08.18 के साथ जो दस्तावेजात संलग्न किये है और विचारण न्यायालय की पत्रावली में है वे समस्त दस्तावेजात अपीलान्ट द्वारा खसरा नम्बर 236 की 0.16 हैक्टर भूमि के बाबत ग्राम पंचायत रानपुर द्वारा जारी किये गये विक्रय विलेख दिनांक 29.03.64 के आधार पर सिविल न्यायालय में रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध प्रस्तुत किये गये घोषणा स्थायी निषेधाज्ञा व आदेशात्मक निषेधाज्ञा के वाद से सम्बन्धित दस्तावेजात हैं। जिस वाद में स्वयं रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 3 वन विभाग ने वाद में विचारण न्यायालय वन विभाग द्वारा लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 91 के तहत जारी अपने आदेश दिनांक 20.08.18 की प्रति प्रदर्श डी– 1 के रूप में पेश कर यह स्वीकार किया है कि खसरा नम्बर 236 रकबा 0.45 हैक्टर की भूमि वही भूमि है जिस भूमि बाबत ग्राम पंचायत रानपुर ने अपीलान्ट के पक्ष में विक्रय विलेख जारी किया था, उक्त सिविल वाद में स्वयं रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 3 के अधिकारी ने जिरह में स्वयं स्वीकार किया है कि उक्त भूखण्ड ग्राम पंचायत रानपुर द्वारा विक्रय किया गया और भूखण्ड खसरा नम्बर 236 का भाग है, और उभय पक्ष की बहस सुनकर सिविल न्यायालय मुन्सिफ दक्षिण ने अपने आदेश व डिक्री दिनांक 03.03.20 में पृष्ठ संख्या 11 पर यह उल्लेखित किया गया है कि हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी पक्ष वन विभाग की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन किया गया तो प्रतिवादीगण ने मौखिक साक्ष्य के रूप में गवाह डी डबल्यू 1 संजय नगर व डी डबल्यू 2 तरूण नागर को

न्यायालय में परीक्षित करवाया है एवं दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में दस्तावेज प्रदर्श डी 1 लगायत डी– 6 विवादित भूखण्ड के सन्दर्भ में प्रदर्शित करवाये गये है। उक्त गवाह में मौखिक परीक्षण में कथन किया है कि क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वारा सुरेन्द्र सिंह के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत खसरा नम्बर 236 की वन भूमि पर अतिक्रमण करने के कारण कार्यवाही कर रखी है। उक्त भूमि गैर मुमकिन जंगलात वन विभाग के नाम दर्ज है तथा वादी/अपीलान्ट द्वारा तथाकथित पट्टे के आधार पर प्रतिवादी क्रम 3 व 4 राष्ट्रीय राजमार्ग के माध्यम से कार्यालय सक्षम अधिकारी भूमि अवाप्ति एन.एच. 12 से मुआवजा राशि 16,12,930/– रूपये प्राप्त कर लिये गये है एवं अवाप्त राशि प्राप्त करने के पश्चात् वादी/अपीलान्ट का भूमि पर कोई वास्ता नही रहा है। ठीक इसी प्रकार उक्त आदेश एवं डिक्री के पृष्ठ संख्या 13 पर न्यायालय का यह कथन है कि गवाह डी डबल्यू–1 संजय नागर ने अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किया है कि वादी/अपीलान्ट को उक्त विवादित भूखण्ड से मुआवजा मिलने के बाद बेदखल किया जा चुका है, जिसके समर्थन मे प्रदर्श डी–1 आदेश आर एल आर दिनांक 20.08.18 प्रदर्शित करवाया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश जेरअपील में अपीलांट के समस्त तथ्यों का उल्लेख किया गया है। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 20.08.2018 को यथावत रखने का आदेश पारित किया गया जो त्रुटिपूर्ण हैं। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 31.03.2021 अपास्त किया जावे तथा विचारण न्यायालय का आदेश दिनांक 20.08.2018 को भी निरस्त फरमाया जावे।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 पैरोकार सरकार सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय की पत्रावली में जो दस्तावेज उपलब्ध हैं, वे समस्त दस्तावेजात अपीलान्ट द्वारा खसरा नम्बर 236 की 0.16 हैक्टर भूमि के बाबत ग्राम पंचायत रानपुर द्वारा जारी किये गये विक्रय विलेख दिनांक 29.03.64 के आधार पर सिविल न्यायालय में रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध प्रस्तुत किये गये घोषणा स्थायी निषेधाज्ञा व आदेशात्मक निषेधाज्ञा के वाद से सम्बन्धित दस्तावेजात हैं। जिस वाद में स्वयं रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 3 वन विभाग ने वाद में विचारण न्यायालय वन विभाग द्वारा लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 91 के तहत जारी अपने आदेश दिनांक 20.08.18 की प्रति प्रदर्श डी– 1 के रूप में पेश कर यह स्वीकार किया है कि खसरा नम्बर 236 रकबा 0.16 हैक्टर की भूमि वही भूमि है जिस भूमि बाबत ग्राम पंचायत

अति. संभा. आयुक्त

रानपुर ने अपीलान्ट के पक्ष में विक्रय विलेख जारी किया था, उक्त सिविल वाद में स्वयं रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 3 के अधिकारी ने जिरह में स्वयं स्वीकार किया है कि उक्त भूखण्ड ग्राम पंचायत रानपुर द्वारा विक्रय किया गया और भूखण्ड खसरा नम्बर 236 का भाग है और उभय पक्ष की बहस सुनकर सिविल न्यायालय मुन्सिफ दक्षिण ने अपने आदेश व डिक्री दिनांक 03.03.20 में पृष्ठ संख्या 11 पर यह उल्लेखित किया गया है कि हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी पक्ष वन विभाग की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन किया गया तो प्रतिवादीगण ने मौखिक साक्ष्य के रूप में गवाह डी डबल्यू 1 संजय नगर व डी डबल्यू 2 तरूण नागर को न्यायालय में परीक्षित करवाया हैं एवं दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में दस्तावेज प्रदर्श डी 1 लगायत डी– 6 विवादित भूखण्ड के सन्दर्भ में प्रदर्शित करवाये गये है। उक्त गवाह में मौखिक परीक्षण में कथन किया है कि क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वारा सुरेन्द्र सिंह के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत खसरा नम्बर 236 की वन भूमि पर अतिक्रमण करने के कारण कार्यवाही कर रखी है। उक्त भूमि गैर मुमकिन जंगलात वन विभाग के नाम दर्ज है तथा वादी/अपीलान्ट द्वारा तथाकथित पट्टे के आधार पर प्रतिवादी क्रम 3 व 4 राष्ट्रीय राजमार्ग के माध्यम से कार्यालय सक्षम अधिकारी भूमि अवाप्ति एन.एच. 12 से मुआवजा राशि 16,12,930/– रूपये प्राप्त कर लिये गये है एवं अवाप्त राशि प्राप्त करने के पश्चात् वादी/अपीलान्ट का भूमि पर कोई वास्ता नही रहा है। ठीक इसी प्रकार उक्त आदेश एवं डिक्री के पृष्ठ संख्या 13 पर न्यायालय का यह कथन है कि गवाह डी डबल्यू–1 संजय नागर ने अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किया है कि वादी/अपीलान्ट को उक्त विवादित भूखण्ड से मुआवजा मिलने के बाद बेदखल किया जा चुका है, जिसके समर्थन मे प्रदर्श डी–1 आदेश आर एल आर दिनांक 20.08.18 प्रदर्शित करवाया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश जेरअपील में अपीलांट के समस्त तथ्यों का उल्लेख किया गया है। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 20.08.2018 को यथावत रखने का आदेश पारित किया गया जो त्रुटिपूर्ण हैं। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 31.03.2021 अपास्त किया जावे तथा विचारण न्यायालय का आदेश दिनांक 20.08.2018 को भी निरस्त फरमाया जावे।

5. रेस्पो0 पेरोकार सरकार ने अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय उचित होना प्रकट किया गया।

6. हमने अपील एव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एंव रेस्पो0 पेरोकार सरकार पर मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख एंव आलौच्य जेरअपील निर्णय के अवलोकन से प्रकट होता है कि अधीनस्थ

न्यायालय सहायक वन संरक्षक कोटा द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी लाडपुरा की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट के द्वारा नाका जगपुरा वन खण्ड खेडा जगपुरा ग्राम जगपुरा के ख० नं0 236 रकबा 0.16 है0 वन भूमि पर कब्जा करने के कारण सहायक वन संरक्षक कोटा द्वारा अपने आदेश दिनांक 20.08.2018 से अपीलान्ट को अतिक्रमी मानते हुए भू–राजस्व की धारा 91 के तहत कार्यवाही करते हुए उक्त भूमि से बेदखली किया जाकर 501/– रू0 जुर्माने एवं 3 माह के साधारण कारावास के दण्ड से दण्डित किये जाने का आदेश पारित किया गया। अपीलार्थी के द्वारा उक्त आदेश दिनांक 20.08.2018 के विरूद्ध भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 अन्तर्गत अपील न्यायालय जिला कलक्टर, कोटा को प्रस्तुत किये जाने पर उक्त विवादित भूमि वन विभाग की होना मानते हुए अतिक्रमण किया जाना प्रमाणित होना प्रकट करते हुए प्रस्तुत अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर निर्णय दिनांक 31.03.2021 से खारिज की गई। प्रश्नगत प्रकरण में अपीलार्थी का अधीनस्थ न्यायालय एवं न्यायालय हाजा में मुख्य तर्क रहा है कि वादग्रस्त आराजी/भूखण्ड अपीलांट को ग्राम पंचायत रानपुर द्वारा दिनांक 29.03.1964 को जरिये आबादी भूमि का विक्रय किया गया था। उक्त भूखण्ड खसरा सं0 236 का हिस्सा है। उपरोक्त विवेचनानुसार अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय अनुसार "पत्रावली में संलग्न ग्राम पंचायत के उक्त पट्टे से यह साबित नहीं हो रहा है कि यह पट्टा खसरा सं0 236 की 10.67 है0 में जारी किया हुआ है यदि जारी भी किया गया है तो भी आबादी भूमि का नहीं होने से वह अवैध है" उचित प्रकट होता है। अपीलांट द्वारा कहीं भी यह वर्णित नहीं किया गया कि उसका विवादित पट्टा गै0मु0 आबादी से संबंधित हैं। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे सिवायचक अथवा वन विभाग की भूमि पर जारी भी कर दिये जाये तो भी वह पट्टा अवैध की श्रेणी में आता है। अपीलांट द्वारा मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य से यह सिद्ध नहीं किया जा सका कि उसका कब्जा वन विभाग की भूमि पर नहीं है। अतः अपीलांट द्वारा अपील मीमो के तथ्यों को किसी भी प्रकार से सिद्ध नहीं किये जाने से अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 31.03.2021 मे किसी प्रकार से हस्तक्षेप की गुंजाईश प्रकट नहीं होता है। लिहाजा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन/बलहीन होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है।

7. निर्णय आज दिनांक 15.05.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे इजलास सुनाया गया।

15/5/2025

(ममता कुमारी तिवारी)
अति0संभागीय आयुक्त
कोटा